Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में पार्षद पति नगर निगम के दो दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *07 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर इन्टेलिजेन्स, अजमेर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये नगर निगम अजमेर के पार्षद पति रंजन शर्मा के दो दलालों किशन खंडेलवाल व देवेन्द्र सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 2 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की इन्टेलिजेन्स, अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पुश्तैनी भूमि पर किये जा रहे समतलीकरण के कार्य को रंजन शर्मा पार्षद पति वार्ड नं. 41, नगर निगम अजमेर द्वारा धमकाकर रूकवा दिया गया था तथा निर्माण कार्यों की स्वीकृति दिलवाने की एवज में अपने दो दलाल किशन खंडेलवाल व देवेन्द्र सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 50 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **पुलिस अधीक्षक श्री समीर कुमार सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज इन्टेलिजेन्स, अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल एवं पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** तथा उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये किशन खंडेलवाल पुत्र श्री रामगोपाल निवासी 600/10, न्यू गोविन्द नगर, रामगंज, अजमेर तथा देवेन्द्र सिह पुत्र स्व. श्री दुर्गासिंह निवासी 7, पिपली बालाजी मंदिर के पास, बिहारीगंज, अलवर गेट, अजमेर (दोनों प्राईवेट व्यक्ति) को रंजन शर्मा पार्षद पति वार्ड नं. 41, नगर निगम अजमेर के लिये परिवादी से **2 लाख रुपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।